

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

प्रकाशनार्थ

आवश्यक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आगरा इनर रिंग रोड-प्रथम चरण कुबेरपुर से फतेहाबाद मार्ग के मध्य रहनकलां स्थित चैनेज संख्या 2+600 पर यातायात संचालन पर टोल टैक्स की वसूली नियमानुसार दिनांक 14 दिसम्बर, 2017 के प्रातः 8:00 बजे से प्रारम्भ की जा रही है। टोल वसूली का कार्य मै0 खलतकर कन्सट्रक्शन, आर-96 रेशिम बाग, उमरेद रोड, नागपुर-09 द्वारा किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2017-18 में वाहनों से लिये जाने वाले टोल शुल्क का विवरण निम्नवत् है :-

क्र० सं०	वाहनों का प्रकार	शुल्क एकल यात्रा (रु० में)	शुल्क वापसी यात्रा (रु० में)	मासिक शुल्क (50 यात्राओं हेतु, रु० में)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	2/3 व्हीकल	15.00	22.00	470.00
2.	कार/जीप/वैन अथवा लाईट मोटर व्हीकल्स	35.00	55.00	1175.00
3.	लाईट कमर्शियल व्हीकल्स, लाईट गुड्स व्हीकल्स अथवा मिनी बस	55.00	90.00	1810.00
4.	ट्रक और बसें	110.00	175.00	3620.00
5.	हैवी कन्सट्रक्शन मशीनरी (एच०सी०एम०) अथवा अर्थ मूविंग इक्युपमेंट अथवा मल्टी एक्सल व्हीकल्स (एन०ए०वी०) 3-6 एक्सल्स	165.00	260.00	5400.00
6.	ओवर साईज व्हीकल्स (7 अथवा अधिक के एक्सल वाले)	210.00	340.00	6900.00

1. टोल प्लाजा की दरें आगरा इनर रिंग रोड कुल लम्बाई 10.95 कि०मी० के लिए प्रस्तावित हैं जिसमें यमुना नदी का पुल, आर०ओ०बी० (आगरा टूण्डला सेक्शन तथा फतेहाबाद रोड से पूर्व का सड़क भाग) एवं आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे का इण्टरसेक्शन भी सम्मिलित है।
2. उक्त दरें प्राधिकरण की वेब साईट www.adaagra.in पर भी उपलब्ध हैं।
3. टोल से छूट वाहनों की सूची संलग्न है।
4. ओवर लोडेड व्हीकल्स पर शुल्क का 10 गुना तक अधिभार लिया जायेगा।
5. मार्ग निर्माण की लागत के सापेक्ष वसूली होने तक टोल लिया जायेगा।

आज्ञा से - उपाध्यक्ष, आ०वि०प्रा०, आगरा।

टोल से छूट वाहनों की सूची

- i. भारत के राष्ट्रपति
 - ii. भारत के उपराष्ट्रपति
 - iii. भारत के प्रधानमंत्री
 - iv. भारत के मुख्य न्यायाधीश
 - v. राज्य के राज्यपाल या केन्द्रशासित राज्यों के उप-राज्यपाल
 - vi. भारत के गणराज्य के मुख्यमंत्री
 - vii. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश
 - viii. शासकीय दौरे पर आने वाले विदेशी उच्च पदाधिकारी
 - ix. "सी सी" / "सी डी" नंबर प्लेटों वाली कारों का उपयोग करने वाले भारत में रह रहे विदेशी मिशनों के अध्यक्ष
 - x. राज्य सभा के अध्यक्ष, लोक सभा के अध्यक्ष, राज्य विधान परिषद या राज्य विधान सभा के अध्यक्ष, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश, केन्द्रीय मंत्री परिषद तथा उ०प्र० सरकार के सचिव एवं आयुक्त अथवा लोक सभा, राज्य सभा, राज्य विधान मंडलों के विपक्ष के वर्तमान नेता
 - xi. केन्द्र एवं राज्य विधायिका के वर्तमान पीठासीन अधिकारी एवं भारत के समस्त राज्यों के संसद सदस्य या किसीराज्य की विधान सभा या राज्य की विधान परिषद के सदस्य, यदि वह संसद अथवा सम्बन्धित राज्य विधान मंडल द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र प्रस्तुत करते हैं
- (ख) विभिन्न शौर्य पुरस्कारों से सम्मानित व्यक्तियों जैसे परवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र यदि वे ऐसे पुरस्कार के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत रूप से प्रमाणित किया गया अपना फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करते हैं
- (ग) शासकीय कार्य के प्रयोग में होने वाले वाहन जो
- i. रक्षा मंत्रालय, जिनमें ये वाहन भी शामिल होंगे जो भारतीय पथकर (सेना और वायु सेना) अधिनियम 1901 और उसके अधीन बनाए गए नियमों (नौसेना को यथाविस्तारित) के उपलब्धों के अनुसार छूट के पात्र हैं
 - ii. कार्यकारी मजिस्ट्रेट यदि वह सरकारी कार्य पर है, विकास प्राधिकरण प्राधिकृत अधिकारी/कर्मचारी, आगरा विकास प्राधिकरण के सेवानिवृत्त कर्मचारी, इनर रिंग रोड से सम्बन्धित वैद्यातिक दायित्व का निर्वहन करने वाले व्यक्ति।
- (ब) पुलिस वाहन, अग्निशमन वाहन, एम्बूलेंस, अन्त्येष्टि वाहन, डाक और तार विभाग के वाहन, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के शासकीय वाहन।